संख्या-**1568**/2026/282/22-2-2026-17(131)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार संतकबीर नगर में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान पुत्र श्री साधु मिश्रा, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/14/2026(बै0 दि0 19.01.2026) दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार संतकबीर नगर में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान पुत्र श्री साधु मिश्रा, ठाकुराइन पुरवा, मौजा-देवतहा, थाना-खरगूपुर, जिला-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.12.2017 को वादी की पुत्री उम्र 15 वर्ष जब वह अपनी माँ के साथ घर के बाहर गयी थी तब बंदी द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-218/2018 में धारा-376, 366, 363 आई०पी०सी० व 3/4 पाक्सो एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/स्पे० जज पाक्सो एक्ट, गोण्डा, के आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक-30.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 06 माह, 23 दिन तथा 04 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 07.12.2017 को वादी की पुत्री उम्र 15 वर्ष जब वह अपनी माँ के साथ घर के बाहर गयी थी तब बंदी द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित

http://shasanadesh.up.gov.in

नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान पुत्र श्री साधू मिश्रा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान (बन्दी संख्या-98/2023) पुत्र श्री साधु मिश्रा, निवासी जनपद-गोण्डा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1568**/2026/282(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- अधीक्षक जिला कारागार संतकबीर नगर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1568/2026/282/22-02-2026-17(131)/2026

दिनांक: 05 नवम्बर, 2026 का संलग्नक

जिला कारागार संतकबीर नगर में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान पुत्र श्री साधु मिश्रा, ठाकुराइन पुरवा, मौजा-देवतहा, थाना-खरगूपुर, जिला-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.12.2017 को वादी की पुत्री उम्र 15 वर्ष जब वह अपनी माँ के साथ घर के बाहर गयी थी तब बंदी द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-218/2018 में धारा-376, 366, 363 आई०पी०सी० व 3/4 पाक्सो एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/स्पे० जज पाक्सो एक्ट, गोण्डा, के आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक-30.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 06 माह, 23 दिन तथा 04 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 07.12.2017 को वादी की पुत्री उम्र 15 वर्ष जब वह अपनी माँ के साथ घर के बाहर गयी थी तब बंदी द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवसरन मिश्रा उर्फ प्रधान पुत्र श्री साधू मिश्रा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।